प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26-04-2022

विषय- अभियुक्तगण/ विचाराधीन बंदी 1- अनिल चौधरी पुत्र श्री करण सिंह, केन्द्रीय कारागार नैनी, 2-ऋषि शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा, जिला कारागार अम्बेडकरनगर एवं 3-मुनीश शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-12802/सामा-1(7)/अलीगढ़/ऋषि शर्मा/2021, दिनांक 18-04-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नलिखित 03 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 की कारागारों में स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	वर्तमान निरूद्धि की कारागार	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागार
1	2	3	4
1	अनिल चौधरी पुत्र श्री करण सिंह	केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज	केन्द्रीय कारागार, आगरा
2	ऋषि शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा	जिला कारागार अम्बेडकरनगर	जिला कारागार, मैनपुरी
3	मुनीश शर्मा पुत्र श्री रामप्रकाश शर्मा	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	जिला कारागार, फिरोजाबाद

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज/अम्बेडकरनगर/वाराणसी/आगरा/मैनपुरी/फिरोजाबाद।
3- पुलिस आयुक्त, वाराणसी।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज/आगरा/अम्बेडकरनगर/मैनपुरी/फिरोजाबाद।
5- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
6- अधीक्षक, जिला कारागार, मैनपुरी/फिरोजाबाद।
7- वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी प्रयागराज/वाराणसी, जिला कारागार, अम्बेडकरनगर को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को अपनी कारागार से संबंधित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in